न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 7057–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–10–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 112/अपील/स्टाम्प/2014–15.

.....

आशुतोष माहेश्वरी आ0श्री ए.एच.माहेश्वरी
निवासी श्रीपेड 2 वाई. एन. रोड,
इंदौर

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–उपपंजीयक, जिला इंदौर
2–श्री कृष्णकुमार दुआ आ0श्री प्रीतमलाल दुआ
निवासी 22 अनूप नगर इंदौर
3–कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला इंदौर

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री विजय आसुदानी, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक–प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/5/16 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47–क(5) के अंतर्गत आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय इंदौर का निरीक्षण कर निरीक्षण टीप अवधि 2004–05 की कंडिका 7 में आक्षेपित किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक

14/अ–27/80–8 में दिनांक 6–11–81 को आदेश पारित कर प्रीतमलाल दुआ, प्रमोदकुमार दुआ, किशनकुमार दुआ एवं श्रीमती शशि दुआ के मध्य सर्वे कमांक 1318 का विभाजन किया गया है एवं संयुक्त रूप से नामान्तरण के आदेश भी दिये गये हैं । उक्त विभाजन पत्र पर मुद्रांक शुल्क चुकाये जाने का उल्लेख नहीं है । उक्त विभाजन पत्र अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 2(15) के अनुसार मिश्रित विलेख अर्थात विकय अनुबंध पत्र विभाजन की श्रेणी में आता है, अतः प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 3,60,67,520/–पर रुपये 14,42,700/– मुद्रांक शुल्क देय हैं । उक्त आपत्ति के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 327/47(क)(3)/05–06 दर्ज कर दिनांक 9–2–2007 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 3,60,67,520/– अवधारित करते हुये कमी मुद्रांक शुल्क 14,42,700/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–10–15 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन विलेख को यदि बटवारा पत्र मान लिया जाये तब भी रुपये 2,073/– मुद्रांक शुल्क देय है, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा रुपये 14,42,700/– मुद्रांक शुल्क अवधारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी को पक्ष समर्थन का अवसर भी नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी, जब अपीलार्थी को आर.आर.सी. प्राप्त हुई तब ही उसे कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी हुई, अतः जानकारी के दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई थी, इसलिये आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त के समक्ष अपील 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी और अवधि विधान

की धारा 5 के आवेदन में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र में जानकारी का दिनांक रिक्त है कि अपीलार्थी को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी कब हुई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा गुणदोष पर निराकरण नहीं किया गया है, अतः इस न्यायालय द्वारा भी गुणदोष पर विचार नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2007 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील लगभग 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी के अभिभाषक की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है और उनके द्वारा जानबूझकर प्रकरण में पारित आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना करते हुये प्रश्नाधीन विलेख को विक्रय अनुबंध पत्र विभाजन की श्रेणी में मानकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में किसी प्रकार की कोई विधि विपरीत कार्यवाही नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–10–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर